Illegal Dhabas on NH-09

- **740. SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, MLA**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-
 - a) the details of the dhabas and other structures illegally constructed on green belt and Government land on the National Highway No.09 from I.M.T. Chowk, Rohtak to Ismaila flyover;
 - b) whether any CLU has been issued by the Government to any Dhaba/Hotel/Restaurant constructed on the abovesaid road; if so, the details thereof;
 - c) the steps taken by the Government to remove the abovesaid illegal constructions togetherwith the details thereof; and
 - d) the width of the abovesaid road and green belt according to the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act 1962?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

(a)& (b) Sir, the desired details are as follows:

Total No. of Structures	= 27
CLU granted	= 09
CLU applied	= 02
Regularized under section 3 in green belt	= 01
Structure existed before controlled area	= 01
Unauthorized constructions	= 14

(c) All the unauthorized construction were demolished after issuance of show cause notices and restoration orders but re-erected by some owners. Action taken against re-erected 14 nos. of unauthorized construction is as follows:

FIR lodged = 12 Notices issued = 02

(d) As per Revised Draft Development Plan-2031AD, the width of NH-9 is 60 meter and width of green belt is 60 meter on both sides except Kharawar village by-pass where width of green belt is 100 meter on both side.

राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर अवैध ढ़ाबे

740. **श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए:** क्या उप—मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

- (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 पर आई.एम.टी. चौक रोहतक से इस्माइला उपरि पुल तक ग्रीन बेल्ट तथा सरकारी भूमि पर ढ़ाबे तथा अन्य ढ़ांचों के अवैध निर्माण का ब्यौरा क्या हैं:
- (ख) क्या उपरोक्त सड़क पर किसी ढ़ाबे / होटल / रेस्टोरेंट के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई सी.एल.यू. जारी की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
- (ग) उपरोक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा
- (घ) पंजाब अनुसूचित सड़कों एवं नियंत्रित क्षेत्रों में अनियमित विकास पर प्रतिबंध अधिनियम 1962 के अनुसार उपरोक्त रोड़ तथा ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई कितनी है?

दुष्यन्त चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क)एवं(ख) श्रीमान जी, वांछित विवरण इस प्रकार हैं:

संरचनाओं की कुल संख्या	=	27
सीएलयू दी गई	=	09
सीएलयू लागू	=	02
हरित पट्टी में धारा 3 के तहत नियमित	=	01
नियंत्रित क्षेत्र से पहले मौजूद संरचना	=	01
अनाधिकृत निर्माण	=	14

(ग) कारण बताओ नोटिस और बहाली आदेश जारी करने के बाद सभी अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त कर दिये गये थे लेकिन कुछ मालिकों द्वारा अनाधिकृत निर्माण फिर से खड़े किये गये थे। दोबारा खड़े किए गए 14 अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसका विवरण इस प्रकार है:

प्राथमिकी दर्ज = 12 नोटिस जारी = 02

(घ) संशोधित मसौदा विकास योजना—2031एडी के अनुसार, खारवार गांव के बाईपास, जहां हरित पट्टी की चौड़ाई दोनों तरफ 100 मीटर है, को छोड़कर, एनएच—9 की चौड़ाई 60 मीटर और हरित पट्टी की चौड़ाई दोनों तरफ 60 मीटर है।